न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–239/2025

किशुनदेव यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

फुलकली देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.02.2026	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि इस वाद के मद नं0–01 में वर्णित भूमि पर अपने स्वत्व वो अधिकार की घोषणा एवं दखल–कब्जा की सम्पुष्टी के साथ स्थायी वो अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश द्वारा वादीगण के दखल–कब्जा में व्यवधान डालने वो कथित ओदश दिनांक 21.11.2025 बगैर क्षेत्राधिकार का है, जिसके आलेक में बेदखल करने से रोक लगाने के साथ अन्य अनुतोष दाखिल किया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण भूतपूर्व जमीन्दार के समय से तथा अपने पूर्वजों के समय से तथा रामनगर राज द्वारा निर्गत पट्टा के आधार पर शांतिपूर्वक नॉद खुंटा, कोला, बारी एवं आवासीय मकान के साथ चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0–06 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2025 के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित भूमि से बेदखल कर यथास्थिति में परिवर्तन करने हेतु व्याकुल है। चूंकि वाद श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है तथा वादीगण द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जिसके प्रभावी निष्पादन हेतु विवादित भूमि के यथास्थिति के संबंध में अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। विवादित भूमि न्यायालय से करीब 20 कि0मी0 की दूरी पर है, जहां जाने का अच्छे सड़क के साथ सुविधा प्राप्त है। लेहाजा एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप का प्रतिवेदन मांग लिया जाए, ताकि न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का स्वरूप आ सके। अधिवक्ता आयुक्त की बहाली में आने वाले खर्च को वादीगण वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 06.12.2025 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें। इस वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। स्वत्व वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–239/2025

किशुनदेव यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

फुलकली देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 03.02.2026	वस्तु स्थिति क्या है? इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि वादीगण अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 06.12.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत चौबे को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किये जायेंगे। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 27.02.2026 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	